प्रेस नोट थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर दिनांक 08.04.2025

कूटरचना कर अवैध पासपोर्ट बनवाने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

विषय पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगाँव के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक बांसगाँव के नेतृत्व में 30नि0 रावेन्द्र पाल मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 637/2024 धारा 319(2),318(4),338,340(2),336(3) भा0न्या0सं0 व 12(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम से संबंधित अभियुक्त श्रीनाथ को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नाम व पता बदलकर दो अवैध पासपोर्ट बनवा लेने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

श्रीनाथ पुत्र राजाराम प्रसाद निवासी ग्राम डड़िया बुजुर्ग पोस्ट कौडीराम थाना बासगाँव जनपद गोरखपुर आपराधिक इतिहास-

- 1. मु0अ0सं0 154/2025 धारा 331(4),305,317(2) भा0न्या0सं0 थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर
- मु0अ0सं0 152/2019 धारा 147,323,452,504,506 भादिव थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर
- 3. मु0अ0स0 637/2024 धारा 319(2),318(4),338,340(2),336(3) भा0न्या0सं0 व 12(1)(B) पासपोर्ट अधिनियम थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

- 1. उ0नि0 रावेन्द्र पाल थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर
- 2. 30नि0 सोनू कुमार थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर
- 3. हे0कां0 नन्दलाल राव थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर